राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 29/12/2022 को संपन्न 444वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार घोषकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री क्लदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 443वीं बैठक दिनांक 28/12/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 443वीं बैठक दिनांक 28/12/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति/ टीओआर /अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अवधराम सोनवानी), ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2208)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 408011/2022, दिनांक 25/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्सी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 333/1, कुल क्षेत्रफल–0.55 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,644 घनमीटर (9,110 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अवधराम सोनवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– पूर्व में फर्सी पत्थर (गौण खनिज) खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं किया गया है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुढ़ेना का दिनांक 18/06/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 4076/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 08/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1248/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 07/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 24 खदानें, क्षेत्रफल 17.28 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1248/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 07/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में भूमि खसरा क्रमांक 333/1, क्षेत्रफल–0.55 हेक्टेयर पर खनिज फर्सी पत्थर उत्खनन पट्टा दिनांक 25/04/2002 से 24/04/2012 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था। खसरा नंबर 333/1 की भूमि पूर्व में शामिलात धारागान के मद में दर्ज था। उक्त भूमि के खसरा पांचशाला एवं बी–1 राजस्व अभिलेख में सह स्वामी के रूप में श्री नरेन्द्र सिंह, पिता श्री ब्रम्हानंद शामिल था. श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा उत्खनिपट्टा स्वीकृत आदेश के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रकरण क्रमांक 37/2003 दिनांक 21.03.2006 में अपील स्वीकार कर उत्खनिपट्टा निरस्त किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में अपील किया गया। माननीय उच्च न्यायालय

छत्तीसगढ़ बिलासपुर के आदेश दिनांक 10.07.2020 के अनुसार शामिलात घासगाह की भूमि को निस्तारी शासकीय भूमि मान्य किया गया है। तदोपरांत न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 61/2021 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के परिपत्र दिनांक 16.05.2017 में वर्णित निर्देशों का पालन कराते हुये भूमि उपलब्ध होने पर प्रकरण में छत्तीसगढ़ गौण नियम, 2015 में हुये संशोधन दिनांक 30.06.2021 के नियम 38क(4) के तहत् उत्खनिपट्टा की विस्तारीकरण हेतु पुनरीक्षणकर्ता के खनन योजना एवं पर्यावरण क्लीरेंस प्राप्त होने की स्थिति में 30 वर्ष की अवधि के लिये पूरक अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 10/01/2022 को आदेश पारित किया गया।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (खसरा क्रमांक 333/1 एवं 331, कुल रकबा 0.54 हेक्टेयर) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.धि./खनिज/5840 महासमुंद, दिनांक 30/12/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ेना 400 मीटर, स्कूल ग्राम–मुढ़ेना 400 मीटर एवं अस्पताल मुढ़ेना 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.3 कि.मी. दूर है। महानदी 180 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 71,940 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 18,220 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 16,398 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,150 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	6,270
द्वितीय	4,710

तृतीय	3,940
चतुर्थ	2,460
पंचम	840

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा ट्यूबवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 450 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,150 वर्गमीटर है, जिसमें से 410 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का घोर उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाए।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–घोड़ारी एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओव्हर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 23/12/2022 को सूचना दी गई थी।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1248/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 07/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 24 खदानें, क्षेत्रफल 17.28 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) का रकबा 0.55 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) को मिलाकर कुल रकबा 17.83 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) गौन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vii. Project proponent shall submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The

plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स नंदन स्मेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–परसदा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1594)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 61668/ 2021, दिनांक 11/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/407060/2022, दिनांक 26/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–परसदा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 505/1, 505/2, 506, 507, 508/1, 508/2, 510/1 एवं 510/3, कुल क्षेत्रफल – 4.123 हेक्टेयर में प्रस्तावित स्पंज आयरन प्लांट (डीआरआई किल्न 190 टीपीडी x 1 नग) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष, इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (एमएस इंगाट्स/बिलेट्स) (10 टन x 3 नग) क्षमता – 99,000 टन प्रतिवर्ष, कैप्टिव पॉवर प्लांट (वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर) – 4.5 मेगावाट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना हेतु विनियोग का कुल लागत 70 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 600, दिनांक 26/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कमल अग्रवाल, सी.ई.ओ. एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीस प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर की ओर से श्री श्रीकांत बी. व्यवहारे उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- निकटतम आबादी ग्राम–परसदा 1.1 कि.मी. एवं शहर रायपुर 36 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन तिल्दा 3.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 40.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.97 कि.मी. दूर है। बिलारी घुघवा आरक्षित वन 3.9 कि.मी. एवं बिलारी आरक्षित वन 1.2 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतियेदित किया है।

2. भू–स्वामित्व – पूर्व में भूमि मेसर्स नंदन घाली फाइबर्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भूमि संबंधी दस्तावेजों में नाम परिवर्तन कराकर मेसर्स नंदन स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से भूमि संबंधी दस्तावेज जारी किया गया है। समिति का मत है कि भूमि संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Proposed Area (in Ha.)	Area (%)
1.	Builtup Area	0.851	20.64
2.	Road and paved Area	0.23	5.58
3.	Green Belt	1.65	40.02
4.	Open Area	1.31	31.77
5.	Reservoir	0.054	1.31
6.	Parking	0.028	0.68
Total		**4.123**	**100**

4. रॉ–मटेरियल –

Raw Material requirement for Induction Furnace Division				
S. No.	**Raw Material**	**Quantity (TPA)**	**Sources**	**Mode Of Transportation**
A	**For Sponge Iron Plant**			
i.	Iron Ore	1,00,320	Odisha Iron Ore Mine & NMDC	By rail and road (through covered trucks)
ii.	Coal	94,050	SECL Coal Mines	
iii.	Lime Stone / Dolomite	3,135	Open market	By road through covered trucks
iv.	Refractory Material	600	Open market	By road through covered trucks
B	**For Steel Melting Shop**			
i.	Sponge Iron	99,000	Captive production / Local Market	Internally available / By road through covered vehicles
ii.	Pig Iron / CI scrap	12,247	Local Market	By road through covered vehicles

iii.	Melting Scrap	2,000	Captive Generation / Local Market	Internally available / By road through covered trucks
iv.	Ferro Alloys	198	Local Market	By road through covered vehicles
v.	Aluminium	49.5	Open Market / Balco	
vi.	Ramming Mass	495	Open Market	
vii.	Steel Sheet Former	495	Open Market	
viii.	LDO for Laddle Preheating	98	Open Market	
Raw Material requirement for Hot Charging Rolling Mill				
	Hot Billet	99,000	-	Internal transfer from own induction furnace and CCM

5. प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Product	Facility	Capacity
1.	Sponge Iron	DRI kiln (190 TPD X 1 no)	62,700 TPA
2.	MS Billets	Induction Furnace with CCM (10 MT X 3 no's)	99,000 TPA
3.	Captive Power	WHRB with TG set	4.5 MW

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – डीआरआई किल्न में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम, ईएसपी के साथ 57 मीटर ऊंची चिमनी एवं 4 नग बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। स्टील मेल्टिंग शॉप में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मूवेबल सक्शन हूड एवं बेग फिल्टर के साथ 33 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इण्डक्शन मेल्टिंग फर्नेश क्रूसिबल में स्मोक हुड और आईडी/एफडी फैन के साथ बेग फिल्टर के माध्यम से डस्ट कलेक्टर स्थापित किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के तहत् पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम होना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाएगा।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

S. No.	Waste	Quantity (In TPA)	Method of Disposal
1.	Char Dolochar	18,810	Sold to Cement Plant / Power Plant
2.	Bottom Dust Ash	31,350	To be given for Brick making
3.	Kiln Accretion & Refractory Waste	564	Given to refractory recycling units / Used in Brick making and low lying areas
4.	Defective Billets	2,080	Used as melting in own plant/Sold outside Rerolling mills
5.	Mill Scale	990	Used in Ferro Alloys as raw material/ sold to Ferro Alloys / Pellet Plants

6.	Slag from Induction furnace	12,127	Used in metal recovery units own/outside. Grinded slag will be used in Brick manufacturing unit
7.	Refractory & Ramming Mass Waste	248	Given to refractory recycling units / used in Fly ash brick making unit / landfill
8.	STP Sludge	08	Used for Composting and then applied for Green Belt

8. हजार्डस (Hazardous) अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था–

Type of Hazardous Waste	H. W. Category (as per HWM Schedule 1)	Quantity	Disposal
Waste Oil/Used Oil	5.1	2 KL/annum	Will be given to authorized recycler having authorization from competent authority.
ETP Sludge	35.3	25 TPA	Given to Cement Plants or used in Brick making. The sludge will not have any Toxic Chemicals. Mostly will be Calcium; Magnesium; Silica Hardness Salts and Iron Oxide.

9. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 310 घनमीटर प्रतिदिन (स्पंज आयरन हेतु 90 घनमीटर प्रतिदिन, एमएस बिलेट्स हेतु 85 घनमीटर प्रतिदिन, केप्टिव पॉवर प्लांट हेतु 123 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 9 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग एवं स्प्रिंकलिंग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – केप्टिव पॉवर प्लांट से 16 घनमीटर प्रतिदिन दूषित जल उत्पन्न होगा, जिसके उपचार हेतु 75 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का ई.टी.पी./ न्यूट्रिलाईजेशन टैंक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित जल को डस्ट सप्रेसन एवं ऐश/स्लेग क्वेंचिंग में उपयोग किया जाएगा। स्पंज आयरन, इण्डक्शन फर्नेस आदि इकाईयों से कुलिंग उपरांत उत्पन्न दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 10 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

10. **प्रस्तावित इकाई हेतु प्रदूषण भार की गणना संबंधी विवरण –**

Stack Emissions details of all stacks (CONTROLLED)				
Stack attached to	**Height**	**PM (TPA)**	**SO_2 (TPA)**	**NO_2 (TPA)**
Induction (99,000 TPA)1 stack	33	2.57	-	-
Sponge iron plant 62700 TPA (190 TPD x 1) 1 stack	57	17.11	171.07	57.02
DG sets 2x550 KVA	10	0.57	0.03	11.40
(UNCONTROLLED)				
Induction (99,000 TPA) 1 stack	33	262.3	-	-
Sponge iron plant 62700 TPA (190 TPD x 1) 1 stack	57	1,676 .51	-	-
DG sets 2x550 KVA	10	68.43	-	-

11. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 17,484 घनमीटर प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 3 मीटर चौड़ाई 3 मीटर एवं गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 11 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता है, जिसमें से 4.5 मेगावॉट केप्टिव पॉवर प्लांट से एवं शेष 6.5 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग 550 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.65 हेक्टेयर (40.02 प्रतिशत) क्षेत्र में 4,125 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिसम्बर 2020 से फरवरी 2021 के मध्य किया गया है। साथ ही 15 अक्टूबर 2021 से 14 नवम्बर 2021 के मध्य अतिरिक्त 1 माह का मॉनिटरिंग कार्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 9 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि

स्तर मापन, 7 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **ई.आई.ए. स्टडी के परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	17.5	35.6	60
PM_{10}	49.9	80.5	100
SO_2	5.6	12.2	80
NO_2	7.6	26.6	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक, लेड एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	46.1	60.8	75
Night L_{eq}	37.2	52.5	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 7948 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 413.5 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 8,337.5 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.55 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

15. लोक सुनवाई दिनांक 01/04/2022 दोपहर 02:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत परसदा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 25/05/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा नोट किया गया कि जन सुनवाई में स्थानीय निवासियों द्वारा इस उद्योग की स्थापना का विरोध किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
7000	2%	140	Following activities at nearby, **Village-Bhursuda, Parsada, Belari & Jota**	
			Eco Park Cum Oxyzone	140
			Total	**140**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "इको पार्क कम ऑक्सीजोन" (आंवला, बड पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) हेतु चार ग्रामों यथा परसदा, जोता, भुरसुदा एवं बेलारी के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 5,50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,64,200 रूपये, खाद के लिए राशि 50,000 रूपये, रेस्टिंग चेयर के लिए राशि 1,00,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 9,40,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,04,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 16,96,000 रूपये हेतु (राशि 35,00,200 रूपये प्रति ग्राम) घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अतः चार ग्रामों हेतु कुल राशि 1,40,00,800 रूपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जोता, भुरसुदा एवं बेलारी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (क्षेत्रफल 0.4 हैक्टेयर प्रति ग्राम) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत परसदा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) एवं प्रत्येक ग्रामवार खसरा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. समिति का मत है कि निकटतम आबादी ग्राम–परसदा 1.1 कि.मी. तक कांक्रीट रोड़ बनाये जाने बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. भूमि संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाए।
3. निकटतम आबादी ग्राम–परसदा 1.1 कि.मी. तक कांक्रीट रोड़ बनाये जाने बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
5. उद्योग परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. प्रस्तावित परियोजना के रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन से पी.सी.यू. में वृद्धि होने से परिवेशीय वायु गुणवत्ता (पी.एम., एसओ$_2$ एवं एन.ओ$_2$) की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा नोट किया गया कि जन सुनवाई में स्थानीय निवासियों द्वारा इस उद्योग की स्थापना का विरोध किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत ग्राम पंचायत परसदा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) एवं प्रत्येक ग्रामवार (जोता, भुरसुदा एवं बेलारी) खसरा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ग्रामवार (परसदा, जोता, भुरसुदा एवं बेलारी) सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्राक्कलन रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स लाईम स्टोन पलेगी क्वारी (प्रो.– श्री धनेश कुमार साहू), ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2160)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 83121/2022, दिनांक 03/10/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/11/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1340 एवं 1344, कुल क्षेत्रफल–0.57 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,099 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सौरभ कुमार साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 1340 एवं 1344 कुल क्षेत्रफल–1.42 एकड़, क्षमता–2,099 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 14/05/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 13/05/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/05/2024 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क्र./ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 19/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	निरंक
2018	28
2019	54
2020	68
2021	179

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत निसदा का दिनांक 30/01/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्फ्रायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है जो उप–संचालक (खनि.प्रशा.) जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्र. 1856(2)/ख.लि./तीन–6/उ.प. 116/2011 रायपुर, दिनांक 16/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2087/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 25/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.76 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2087/ख.नि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 25/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री धनेश कुमार साहू के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 25/10/2007 से 24/10/2012 तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 15 वर्षों अर्थात् दिनांक 25/10/2012 से 24/10/2027 तक विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (श्री टेकराम साहू, खसरा क्रमांक 148/44 कुल रकबा 0.9 हेक्टेयर) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./रा./2343 रायपुर, दिनांक 23/08/2006 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–निसदा 900 मीटर एवं स्कूल ग्राम–निसदा 900 मीटर एवं अस्पताल निसदा 900 मीटर दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 480 मीटर दूर है। महानदी 150 मीटर एवं निसदा बांध 650 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,00,120 टन (40,048 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 51,574 टन (20,630 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 38,680 टन (15,472 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,047 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं दिया गया है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,931	षष्टम	2,400
द्वितीय	1,960	सप्तम	2,437.5
तृतीय	2,040	अष्टम	2,437.5
चतुर्थ	2,212.5	नवम	2,475
पंचम	2,362.5	दशम	2,475

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,047 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,455 वर्गमीटर क्षेत्र 7 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाए।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 23/12/2022 को सूचना दी गई है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2087 / ख. नि. / तीन–6 / 2022 रायपुर, दिनांक 25 / 03 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.76 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–निसदा) का रकबा 0.57 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–निसदा) को मिलाकर कुल रकबा 12.33 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

   iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2022 to till date from the mining department.

   iv. Project proponent shall submit the certificate from forest department for distance between mine lease boundary to forest boundary.

v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit detail project report of making a retaining wall near the bank of river.

x. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xi. Project proponent shall submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xviii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xx. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xxi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

4. मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री ललित जैन), ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2214)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 403718/ 2022, दिनांक 30/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक–208/2, 208/3 एवं 208/6, कुल क्षेत्रफल–1.322 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–10,000 टन (6,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भीखम जैन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 208/2, 208/3 एवं 208/6, कुल क्षेत्रफल– 1.322 हेक्टेयर, क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 19/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष अर्थात् दिनांक 18/09/2021 तक की अवधि हेतु वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 18/09/2022 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में किये गये उत्पादन आंकड़ों की मात्रा में इकाई (Unit) का उल्लेख करते हुए खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार दिनांक 01/04/2022 से 30/11/2022 तक चूना पत्थर का उत्खनन 1,030 टन किया गया है। समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18/09/2022 तक के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है, जो कि पर्यावरणीय स्वीकृति का उल्लंघन है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार:–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate

a) Damage Assessment,
b) Remedial Plan and
c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based

on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarentee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 27 / 11 / 2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान (एलांग विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख. प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 1261 / खनि02 / मा.प्ल.अनुमोदन / न.क्र.06 / 2019(4) नया रायपुर, दिनांक 29 / 03 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 334 / ख.लि. 02 / 2022 राजनांदगांव, दिनांक 18 / 02 / 2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 खदानें, क्षेत्रफल 37.603 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 334 / ख.लि. 02 / 2022 राजनांदगांव, दिनांक 18 / 02 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। पूर्व में लीज श्री पीयूष श्रीवास्तव के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 03 / 06 / 2005 से 02 / 06 / 2015 तक वैध थी। तत्पश्चात लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 03 / 06 / 2015 से 02 / 06 / 2035 तक विस्तारित की गई। लीज डीड का हस्तांतरण दिनांक 20 / 09 / 2018 को श्री ललित जैन के नाम पर किया गया।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./तक.अधि./म.क्र. 10–1/2022/1468 राजनांदगांव, दिनांक 15/02/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डुमरडीहकला 200 मीटर, स्कूल ग्राम–ठेल्काडीह 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल डुमरडीहकला 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.3 कि.मी. दूर है। तालाब 500 मीटर एवं मौसमी नाला 1.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,91,500 टन, माईनेबल रिजर्व 3,71,137 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,13,723 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,484 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,000 घनमीटर है, जिसमें से 4,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी पूर्व से उत्खनित है। शेष 5,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 33 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,000
द्वितीय	10,000
तृतीय	10,000
चतुर्थ	10,000
पंचम	10,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 580 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,484 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से उत्तर दिशा में 45 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का

उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाए।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में तत्समय सूचना दी गई है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 334/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 18/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 खदानें, क्षेत्रफल 37.603 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–डुमरडीहकला) का रकबा 1.322 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–डुमरडीहकला) को मिलाकर कुल रकबा 38.925 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती

भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail with mentioning unit to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit the audited balance sheet of financial year 2022-23 showing total turnover for calculation of penalty.

v. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

xv. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xvi. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA eport by accredited consultants.

xvii. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xviii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xxi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xxii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant

cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. मेसर्स भुईगांव ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री मोहन प्रसाद मनहर), ग्राम–भुईगांव, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2218)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 408861/2022, दिनांक 01/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भुईगांव, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 759, 760/1, 760/2, 760/3, 761/1, 761/2, 761/3 एवं 762/1, कुल क्षेत्रफल–1.052 हेक्टेयर प्रस्तावित में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन प्रसाद मनहर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि आवेदित प्रकरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों में खसरा संबंधित भिन्नता है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष फॉर्म–1 एवं अन्य दस्तावेजों में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म–1 एवं अन्य दस्तावेजों में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स तनौद ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री अजय कुमार साहू), ग्राम–तनौद, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2219)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 408802/2022, दिनांक 01/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–तनौद, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक

1469/2, 1488, 1489 एवं 1490/4, कुल क्षेत्रफल– 1.337 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अजय कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में तथ्य आया कि "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्र. 3022/गौण खनिज/न.क्र./2022 जांजगीर, दिनांक 24/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से गांव की आबादी 860 मीटर, आवेदित क्षेत्र के पूर्व दिशा में चलित चिमनी 870 मीटर, आवेदित क्षेत्र के पूर्व दिशा में चिमनी 920 मीटर एवं आवेदित क्षेत्र के पूर्व दिशा में श्रीमती सुनीता अग्रवाल के नाम पर खनिज मिट्टी (ईंट–फिक्स चिमनी भट्ठा) उत्खननपट्टा दिनांक 07/07/2009 से दिनांक 06/07/2039 तक के लिए स्वीकृत है।" अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को जारी अधिसूचना में ईंट भट्टा हेतु जारी दिशा–निर्देश के टिप्पणी क्रमांक 7 के अनुसार "किसी क्षेत्र में भट्टों की अधिक संख्या से बचने के लिए मौजूदा ईंट भट्टों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर ईंट भट्टों को स्थापित किया जाना चाहिए।" का उल्लेख है।

उक्त दिशा–निर्देश के तहत् आवेदित खदान से 1 किलोमीटर क्षेत्र तक ईंट भट्टों को स्थापित नहीं किया जाना है। अतः प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से परियोजना प्रस्तावक के आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स कुरदी पलेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अरविंद कुमार जैन), ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2220)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/408812/2022, दिनांक 01/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 314/1, 314/2 एवं 403, कुल क्षेत्रफल–1.74 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–19,200 टन (12,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरविंद कुमार जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुरदी का दिनांक 24/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान (एलांग विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 989/खनिज/उत्खा.यो.अनु./उ.प./2021–22 कांकेर, दिनांक 04/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 147B/खनि.लि./उ.प.आवेदन/2021 बालोद, दिनांक 06/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 17 खदानें, क्षेत्रफल 17.307 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 631/खनि.लि./उ.प. आवेदन/2020–21 बालोद, दिनांक 15/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** एल.ओ.आई. श्री अरविंद कुमार जैन के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1304/खनि.लि./उ.प.एलओआई/2021–22 बालोद, दिनांक 07/09/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज हेतु आवेदन किया गया है।

7. **भू–स्वामित्व –** भूमि खसरा क्रमांक 314/1 श्रीमती रेखा जैन एवं खसरा क्रमांक 314/2, 403 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बालोद वनमंडल, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./न.क्र. 23/6274 बालोद, दिनांक 17/11/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम–कुरदी 150 मीटर, स्कूल ग्राम–डुंडेरा 2 कि.मी. एवं अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डुंडेरा 1 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 20 कि.मी.

दूर है। शिवनाथ नदी 30 कि.मी., तालाब 150 मीटर एवं कोगनी नाला 2 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,01,120 टन, माईनेबल रिजर्व 2,36,131 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,24,325 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,876 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 19 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाएगा। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	19,200	षष्टम	19,200
द्वितीय	19,200	सप्तम	19,200
तृतीय	19,200	अष्टम	19,200
चतुर्थ	19,200	नवम	19,200
पंचम	19,200	दशम	19,200

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन नहीं किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 147B/खनि.लि./उ.प.आवेदन/2021 बालोद, दिनांक 06/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 17 खदानें, क्षेत्रफल 17.307 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कुरदी) का रकबा 1.74 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कुरदी) को मिलाकर कुल रकबा 19.047 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit revised 500 meter certificate.

   iv. Project proponent shall submit the LOI extension copy.

   v. Project proponent shall submit the NOC for usage of water from CGWA.

   vi. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

   vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

   viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

   x. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

   xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

   xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स बुड़गहन लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री आशीष अग्रवाल), ग्राम–बुड़गहन, तहसील–सिमगा, जिला–बालौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2221)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 409208/ 2022, दिनांक 04/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बुड़गहन, तहसील–सिमगा, जिला–बालौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 173, 174, 175(पार्ट) एवं 176(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–2.91 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–25,020 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री शिव अग्रवाल), ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2222)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 409303/2022, दिनांक 05/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 121/1(पार्ट), 122(पार्ट), 123(पार्ट), 124(पार्ट) एवं 125/2, कुल क्षेत्रफल–2.582 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आकाश अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन हेतु क्षेत्रफल बढ़ाने के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 25/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उक्त प्रमाण पत्र में समस्त आवेदित खसरों का उल्लेख नहीं है। अतः समस्त आवेदित खसरों का उल्लेख करते हुये ग्राम पंचायत का संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (एलांग विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 2755/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 31/05/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1223/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 07/06/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 31 खदानें, क्षेत्रफल 38.925 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1223/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 07/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री शिव अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 450/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 04/03/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 121/1(पार्ट), 122(पार्ट) व 124(पार्ट) श्रीमती सुमन अग्रवाल एवं खसरा क्रमांक 123(पार्ट) श्री मनीष अग्रवाल तथा खसरा क्रमांक 125/2 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क्र. 10–1/2021/10402 राजनांदगांव, दिनांक 16/12/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डुमरडीहकला 450 मीटर, स्कूल ग्राम–ठेलकाडीह 2 कि.मी. एवं अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डुमरडीहकला 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 350 मीटर दूर है। तालाब 650 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 19,36,500 टन, माईनेबल रिजर्व 9,63,555 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 8,89,015 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,585 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 20,000 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 24 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल

का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,000
द्वितीय	40,000
तृतीय	40,000
चतुर्थ	40,000
पंचम	40,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,585 वर्गमीटर है, जिसमें से उत्तर दिशा में 712.5 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई एवं पश्चिम दिशा में 300 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाए।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में तत्समय सूचना दी गई है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1223 / खा.लि. 02 / 2022 राजनांदगांव, दिनांक 07 / 06 / 2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 31 खदानें, क्षेत्रफल 38.925 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–डुमरडीहकला) का रकबा 2.582 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–डुमरडीहकला) को मिलाकर कुल रकबा 41.507 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit the latest NOC from Gram Panchayat with mentioning all khasra numbers for mining (with proceedings and meeting date).

   iii. Project proponent shall have valid LOI certificate at the time of submission of EIA/EMP report for EC.

   iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance

to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स दुलना लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री साकेत जैन), ग्राम–दुलना, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2223)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 409376/ 2022, दिनांक 06/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दुलना, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 657, 658, 663, 665, 666, 668, 693, 694, 695, 696, 697 एवं 698, कुल क्षेत्रफल–2.6 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,002.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री साकेत जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 657, 658, 663, 665, 666, 668, 693, 694, 695, 696, 697 एवं 698, कुल क्षेत्रफल–2.6 हेक्टेयर, क्षमता–25,014 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्घात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 13/12/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 12/12/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 12/12/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख. लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 04/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
08/02/2018 से 31/03/2018	3,500
2018–2019	25,001
2019–2020	25,014
2020–2021	25,014
2021–2022	25,014

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दुलना का दिनांक 19/04/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 6888/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 30/11/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदानें** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1779/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 07/11/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 5.259 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1779/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है। महानदी तटबंध 120 मीटर की दूरी पर है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री साकेत जैन के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/02/2018 से 07/02/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 657, 658, 666, 668, 693, 695, 696, 697 एवं 698 श्री योगेन्द्र कंसारी एवं श्रीमती कविता जैन, खसरा क्रमांक 663 श्री योगेन्द्र कंसारी एवं श्री सनत कुमार, खसरा क्रमांक 665 श्री सनत कुमार, खसरा क्रमांक 694 श्री योगेन्द्र कंसारी एवं श्री सनत कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (खसरा क्रमांक 239 एवं 240, कुल रकबा 1.12 हेक्टेयर) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./रा./2571 रायपुर, दिनांक 15/05/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 700 मीटर की दूरी पर है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दुलना 230 मीटर, स्कूल ग्राम–दुलना 230 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है। महानदी 120 मीटर दूर है। समिति का मत है कि निकटतम आबादी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध मे जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है एवं महानदी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 16,43,730 टन, माईनेबल रिजर्व 5,31,440 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 5,15,496 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,857 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	50,002.5

द्वितीय	50,002.5
तृतीय	50,002.5
चतुर्थ	50,002.5
पंचम	50,002.5

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकरो के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 8,857 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,473 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक एवं 1,724 वर्गमीटर क्षेत्र 9 मीटर की गहराई तक है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं नम्बरिंग कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र का कुछ भाग पूर्व से उत्खनित होने के कारण 2,760 वर्गमीटर (पिट 1 से पिट 9 तक) क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिसंबर 2022 से प्रारंभ किया गया है, मॉनिटरिंग का कार्य फरवरी, 2023 तक किया जाएगा। उक्त के संबंध में दिनांक 16/12/2022 को सूचना दी गई। समिति का मत है कि ई.आई.ए. स्टडी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2023 तक किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. ई.आई.ए. स्टडी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2023 तक किया जाए।
2. निकटतम आबादी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. महानदी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
7. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाए। पुनःभराव पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं नम्बरिंग कर फोटोग्राफस प्रस्तुत किया जाए।
8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

11. मेसर्स चिंकारा मिनरल्स (पार्टनर– श्री जितेन्द्र पटेरिया, सेरीखेड़ी लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–सेरीखेड़ी, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2224)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 409494/2022, दिनांक 07/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सेरीखेड़ी, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 690/3, कुल क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,500 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रविन्द्र पटेरिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1842/ख.लि./2022 रायपुर, दिनांक 15/11/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 17.61 हेक्टेयर होना पाया गया। अतः खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित हो रहा है। साथ ही ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया जाना था परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती कविता जैन), ग्राम–दुलना, तहसील–अमनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2225)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 409951/2022, दिनांक 09/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दुलना, तहसील–अमनपुर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 433/1, 590 एवं 591, कुल क्षेत्रफल–1.377 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–53,485 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री साकेत जैन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 433/1, 590 एवं 591, कुल क्षेत्रफल–1.377 हेक्टेयर, क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 14/05/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 13/05/2023 की अवधि तक वैध है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/05/2024 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख. नि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 04/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017–18	12,380
2018–19	15,000
2019–20	15,000
2020–21	15,000
2021–22	15,000

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दुलना का दिनांक 08/08/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – स्कीम ऑफ क्वारी माईनिंग प्लान एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 6884/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 30/11/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1782/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 07/10/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 6.482 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1782/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 07/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती कविता जैन के नाम पर है। मूल उत्खननपट्टा विलेख 10 वर्ष की कालावधि हेतु रकबा 0.567 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक 22/09/2012 से दिनांक 21/09/2022 तक एवं रकबा 0.75 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक 14/02/2011 से 13/02/2021 तक मूल पट्टा निष्पादित किया गया था। अवधि विस्तार के अनुसार दोनो खदानों का समामेलित आदेश के तहत् नियम 57(4) के तहत् अवधि दिनांक 14/02/2021 से दिनांक 13/02/2041 तक विस्तारित किया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 433/1, 591 श्री योगेन्द्र कंसारी एवं श्रीमती कविता जैन तथा खसरा क्रमांक 590 श्री साकेत जैन के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (खसरा क्रमांक 239 एवं 240, रकबा 1.12 हेक्टेयर) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमाक/मा.चि./रा./2571 रायपुर, दिनांक 15/06/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 700 मीटर की दूरी पर है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दुलना 320 मीटर, स्कूल ग्राम–दुलना 320 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है। महानदी 350 मीटर दूर है। समिति का मत है कि निकटतम आबादी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है एवं महानदी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,12,575 टन, माईनेबल रिजर्व 3,65,209 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,46,948 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,612 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 29.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6.82 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	54,060
द्वितीय	56,250
तृतीय	58,657.5
चतुर्थ	51,390
पंचम	47,067.5

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकरो के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,612 वर्गमीटर है, जिसमें से 540 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक एवं 292 वर्गमीटर क्षेत्र 5.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में

तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं नम्बरिंग कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिसंबर 2022 से प्रारंभ किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 16/12/2022 को सूचना दी गई। समिति का मत है कि ई.आई.ए. स्टडी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2023 तक किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. ई.आई.ए. स्टडी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2023 तक किया जाए।
2. निकटतम आबादी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. महानदी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
7. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाए। पुनःभराव पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं नम्बरिंग कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाए।
8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के

संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

13. मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड (आरीडोंगरी आयरन ओर माईन), ग्राम–कच्चे एवं परेकोदो, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2210)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/408229/2022, दिनांक 28/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–कच्चे एवं परेकोडो, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर में Expansion proposal for Aridongari iron ore mines for enhancement of iron ore production capacity from existing 2.35 Mtpa to 6 MTPA with total excavation quantity of 21.34 MTPA, setting up by way of putting up of a new and enhancement / modification / replacement of existing iron ore crushing and screening plant from 2.35 MTPA to 6 MTPA of iron ore crushing, screening, grinding and beneficiation plant of 6 MTPA capacity, setting up of additional Dolerite / Grunerite Aggregate crushing and screening plant from 2 MTPA with increase in mine lease area from 138.96 Ha to 215.96 Ha (Total mining lease area as per block allotment is 138.96 Ha + 77 Ha additional land outside mine lease area for scientific disposal / dumping of overburden waste) के लिए टी.ओ. आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग का कुल लागत 27,891 लाख होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गंगा राम वर्मा, वाइस प्रेसिडेंट माईनिंग, श्री संजय श्रीवास्तव, असिसटेंट वाइस प्रेसिडेंट इन्व्हायरोमेंट एवं पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में मेसर्स वरदान इन्व्हायरोनेट, गुरूग्राम की ओर से श्री अंकुर अग्रवाल उपस्थित हुए। समिति

द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–106.6 हेक्टेयर, क्षमता–7,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25/06/2007 को जारी की गई।

   ii. आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–106.6 हेक्टेयर से बढ़ाकर 138.96 हेक्टेयर क्षमता–7,05,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 14,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12/12/2014 को जारी की गई। तत्पश्चात् आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–106.6 हेक्टेयर से बढ़ाकर 138.96 हेक्टेयर क्षमता–7,05,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 14,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26/05/2016 को जारी की गई।

   iii. आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–138.96 हेक्टेयर क्षमता–14,05,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 23,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23/06/2021 को जारी की गई।

   iv. परियोजना प्रस्तावक को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 23/06/2021 का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 782/खनिज/ख.प./2022 कांकेर, दिनांक 02/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2013–14	3,25,797.61
2014–15	4,04,271.35
2015–16 (अप्रैल से अगस्त 2015 तक)	1,22,941.68
सितम्बर 2015–16	2,97,128.17
2016–17	9,85,179.41
2017–18	12,07,017.62
2018–19	11,82,025.24
2019–20	13,47,258.84
2020–21	13,99,971.09
2021–22	21,04,823.91
2022–23 (सितम्बर 2022 तक)	11,69,436.99

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयरन ओर क्षमता–2.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष, आयरन ओर क्रशर विथ स्क्रीनिंग फेसिलिटी क्षमता–400 टन प्रतिघंटा, आयरन ओर स्क्रीनिंग प्लांट विथ मेगनेटिक सेप्रेटर क्षमता–250 टन प्रतिघंटा एवं डोलेराईट क्रशिंग एण्ड स्क्रीनिंग प्लांट क्षमता–2 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 07/07/2022 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 15/08/2024 तक वैध है।

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत परैकोड़ो का दिनांक 07/10/2022 एवं ग्राम पंचायत कच्चे का दिनांक 27/10/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – रिव्यूड ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के ज्ञापन क्रमांक/कांकेर/लौह/खयो–1227/2019 रायपुर, दिनांक 09/01/2020 द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तुत माईनिंग प्लान कुल क्षेत्रफल 138.96 हेक्टेयर, आयरन ओर माईन क्षमता 23,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु अनुमोदित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माईनिंग प्लान अनुमोदन हेतु ड्राफ्ट माईनिंग प्लान भारतीय खान ब्यूरो में प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि प्रस्तावित क्षेत्रफल 215.96 हेक्टेयर, आयरन ओर माईन क्षमता 60,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा जारी आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **लीज संबंधी विवरण** – लीज डीड मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड के नाम पर है, जो निम्नानुसार है:–

Details	Lease Area	Date of Deed Execution	Period	Valid Up to
Lease Deed Execution for Kachche (Aridongri) Iron Ore Lease 32.36 Ha	32.36 Ha	12.05.2015	50 years from 12.05.2015	11.05.2065
Lease Deed Execution for Kachche (Aridongri) Iron Ore Lease 106.60 Ha	106.60 Ha	30.09.2008	20 years from 30.09.2008	30.09.2028
Amendment in Lase Deed for Kachche (Aridongri) Iron Ore Lease 106.60 Ha for extension of validity period as per Mines and Minerals (Development and Regulation) (Amendment) Ordinance, 2015	106.60 Ha	03.09.2015	50 years from 30.09.2008	29.09.2058
Amalgamation of Kachche	138.96 Ha	03.09.2015	50 years from	29.09.2058

(Aridongri) Iron Ore Lease 32.36 Ha and 106.60 Ha			30.09.2008	

7. **भू–स्वामित्व** – उत्खनन हेतु कुल क्षेत्रफल 138.96 हेक्टेयर है, जिसमें से 127.4 हेक्टेयर वन भूमि एवं शेष 11.56 हेक्टेयर राजस्व भूमि है। साथ ही लीज क्षेत्र के बाहर 77 हेक्टेयर (63.79 हेक्टेयर शासकीय भूमि एवं शेष 13.21 हेक्टेयर निजी भूमि) भूमि में ओव्हर बर्डन को भण्डारित/अपवहन किया जाना बताया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि शासकीय भूमि 63.79 हेक्टेयर में से 2.65 हेक्टेयर का आबंटन प्राप्त किया गया है, जिसमें शर्त अनुरूप पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है। अतः शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन पत्र प्रस्तुत किये जाने बाबत् परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाना आवश्यक है। भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 04/08/2008 द्वारा जारी पत्र अनुसार 106.6 हेक्टेयर वन क्षेत्र को आरीडोंगरी आयरन ओर माईन के नाम पर शर्तों के अधीन डायवर्सन किया गया है। साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 19/02/2015 द्वारा जारी पत्र अनुसार 32.36 हेक्टेयर वन क्षेत्र को फारेस्ट कम्पार्टमेंट नम्बर आरएफ 139(808) ग्राम–कच्चे जिला–बस्तर में आयरन ओर माईन के लिए शर्तों के अधीन डायवर्सन किया गया है। समिति का मत है कि दिये गये शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम शहर दल्ली राजहरा 26 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन गुडुम 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 157 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. लीज क्षेत्र के बफर जोन के अंतर्गत आरक्षित वन पिचाकेट्टा, राजोबिहिह, उनोचापानी, मगर्दा जबकसा, भापुर एवं संरक्षित वन कान्हे, लिमोडीह, मारडेल, रनवाही है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3.768 हेक्टेयर है। वर्तमान में ओपन कास्ट फुल्ली मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 6 से 8 मीटर एवं चौड़ाई 6 से 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 501 घनमीटर प्रतिदिन (आयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट के लिए 417 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन के लिए 30 घनमीटर प्रतिदिन, ईक्यूपमेंट वाशिंग के लिए 8 घनमीटर प्रतिदिन, ड्रिंकिंग एवं सेनिटेशन के लिए 46 घनमीटर प्रतिदिन) होगी, जिसमें से 300

घनमीटर प्रतिदिन को भू–जल से उपयोग किया जाएगा एवं शेष 201 घनमीटर प्रतिदिन को माईन सम्प से जल की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता हेतु 300 घनमीटर प्रतिदिन के लिए सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **मिनरल प्रोसेसिंग एवं बेनीफिकेशन** – वर्तमान में 3 स्टेज क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग क्षमता 2.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष स्थापित है। 250 टन प्रतिघंटा क्षमता का स्क्रीनिंग के साथ ड्राई मेग्नेटिक सेपरेटर तथा 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का डोलोराईट क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 1000 टन प्रतिघंटा क्षमता का क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग इकाई के प्रायमरी जॉ, सेकेन्ड्री एवं टरश्यरी कोन क्रशर एवं स्क्रीन्स में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में सम्मति प्राप्त लो–ग्रेड आयरन ओर बेनीफिकेशन प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर होना बताया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में तीन पंक्तियों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/01/2022 के मध्य किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी समस्त पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में तीन पंक्तियों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

3. शासकीय राजस्व भूमि एवं निजी भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उत्खनन/भण्डारण हेतु भू–स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए (यदि आवश्यक हो)।

4. शासकीय भूमि 63.79 हेक्टेयर में से 2.65 हेक्टेयर का आबंटन प्राप्त किया गया है, जिसमें शर्त अनुरूप पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है। अतः शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

5. वर्तमान उत्पादन क्षमता के स्थिती में ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।

6. क्षमता विस्तार उपरांत ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् किये गए सी.ई.आर. कार्यों का व्यय एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 04/08/2008 एवं 19/02/2015 द्वारा जारी आयरन ओर माईनिंग के लिए दिये गये वन भूमि का डायवर्सन के शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़